

साहिबगंज नगर परिषद् कार्यालय,  
साहिबगंज।




पत्रांक—1094 / Rev/SBM,

दिनांक—16-5-18 /

—: आवश्यक सूचना :-

एतद् द्वारा सभी नगरवासियों को सूचित किया जाता है कि :-

- (1) झारखण्ड सरकार के आदेशानुसार प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि प्रतिबंधित है। अतः सभी नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक मुक्त साहिबगंज बनाने हेतु प्लास्टिक का प्रयोग, भंडारण व बिक्री आदि न करें। दिनांक-27.05.2018 से संघन जाँच अभियान प्रारंभ की जायेगी। दोषी पाये जाने व्यक्तियों पर नियमानुसार जुर्माना राशि के साथ कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
- (2) सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि जो होल्डिंग धारक वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 का होल्डिंग टैक्स 30 जून, 2018 तक अदा करते हैं तो वैसे कर दाता को नियमानुसार 5 प्रतिशत की रियात दी जायेगी।
- (3) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली-2016 एवं विभागीय अधिसूचना सं0-1470 दिनांक-15.03.2016 के आलोक में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था एवं कॉमर्शियल एरिया में नाईट स्वीपिंग की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। जिसके विरुद्ध निर्धारित शुल्क देय होगा।



ज्ञापांक—1094 / न0प0, सा0, दिनांक—16-5-18 /

प्रतिलिपि :- प्रचारक, विजय चौरसिया, साहिबगंज को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना का प्रचार-प्रसार द्वारा अपने ध्वनि विस्तारक यंत्र से लगातार तीन दिनों तक सभी वार्डों में करना सुनिश्चित करेंगे )।

प्रतिलिपि:- जिला जन सर्मर्पक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सभी संबंधित कर्मचारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक पदाधिकारी,  
साहिबगंज नगर परिषद्।

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18

16/5/18